252 18 विभिन्न सीपीएसई/सीपीएसई के कर्मचारियों/उनके कर्मचारियों के संघों/ट्रेड यूनियनों आदि से सीधे डीपीई को प्राप्त होने वाले प्रतिवेदन/पत्राचार।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग को विभिन्न सीपीएसई/विभिन्न ग्रेडों के कर्मचारियों/विभिन्न सीपीएसई में कार्यरत कर्मचारियों/सीपीएसई में कार्यरत उनके एसोसिएशनों/ट्रेड यूनियनों से वेतन/पारिश्रमिक संबंधी विविध मुद्दों के संबंध में सचिव, डीपीई एवं डीपीई के अन्य अधिकारियों को सीधे संबोधित प्रतिवेदन/पत्राचार काफी अधिक संख्या में प्राप्त होते रहे हैं। उपर्युक्त मुद्दों पर सचिव, डीपीई एवं डीपीई के अन्य अधिकारियों को सीधे संबोधित पत्र/प्रतिवेदन/पत्राचार उचित नहीं है और कई बार इससे काम का दोहराव हो सकता है और इससे परिहार्य □ति/परेशानी होती है। यह बताया जाए कि डीपीई द्वारा जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों के संबंध में दिन–प्रतिदिन के मामलों पर इस प्रकार उठाए गए मुद्दों/उठाई गई शिकायतों के व्यवस्थापन/निपटान के लिए सीपीएसई के भीतर और (यदि आवश्यकता पड़ती है) उनके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में उपयुक्त प्राधिकारी हैं।

2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने नियंत्रणाधीन सीपीएसई को प्रभाव डाले कि सीपीएसई/सीपीएसई के कर्मचारी/और उनके एसोसिएशन/ट्रेड यूनियन अपने पत्र/प्रतिवेदन/पत्राचार अनिवार्य रूप से उपयुक्त माध्यम से भेजें।

3. सीपीएसई भी उपयुक्त निर्देश दे और कडाई से पालन के लिए अपने सभी कर्मचारियों/अपने प्रशासन/ट्रेड यूनियनों के नोटिस में लाए।

4. वेतन/पारिश्रमिक संबंधी मुद्दों को सचिव, डीपीई और डीपीई के अन्य अधिकारियों को दैनन्दिनी में सीधे संबोधित पत्र/प्रतिवेदन/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा और इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इन्हें केवल फाईल में दर्ज कर लिया जाएगा।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. **2(22)/11–डीपीई(डब्ल्यूसी)जीएल–IX/2011, दिनांक 30 मई, 2011)**

*****